भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
जिला ग्वालियर PBR/नि/ग्वा/भू-रा/2017/1540

प्र. क्र. निगरानी/ /अध्यक्ष/2017

(31)

भगवानसिंह (मृतक) वारिस
रामजीतसिंह यादव पुत्र स्व श्री भगवानसिंह
निवासी ग्राम जडेरूआकला तहसील व जिला
ग्वालियर म0प्र0 ......प्रार्थी

बनाम

1 म0प्र0शासन

2 अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र मुरार परगना व जिला ग्वालियर म0प्र0 ......प्रतिप्रार्थीगण

द्वारा आज दि. 1-6-17 को प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट 1-6-17

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर आयुक्त संभाग जिला ग्वालियर के द्धारा प्रकरण कमांक 347/2016–17 अपील मे पारित आदेश दिनांकी 03.05.2017 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रार्थी के स्वत्व स्वामित्व एंव अधिपत्य की भूमि ग्राम जडेरूआकला में स्थित सर्वे कमांक 542 रकवा 0.571हे0वर्गफुट भूमि पड़ती के रूप मे लगभग 2 साल से अधिक समय से उपयोग में आ रही थी और पूर्व में प्रार्थी ने उक्त भूमि में प्रार्थी ने म0प्र0शासन के मैरिजगार्डन के अनुसार तथा कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था छोड़ते हुये शगुन मैरिज गार्डन का संचालन किया जा रहा है, प्रार्थी ने उक्त मैरिज गार्डन के संबंध में प्रतिप्रार्थी कमांक–2 द्धारा इस आशय का सूचना पत्र जारी किया कि आपके द्धारा उक्त सर्वे कमांक का बिना डायवर्सन कराए तथा टाउन इन कन्ट्रीप्लानिंग से नक्शा पास कराए बगैर मैरिज गार्डन का संचालन किया जा रहा है और उक्त प्रकरण को उनके द्धारा म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 172 के अंतर्गत निजी भूमि पर बिना डायवर्सन कराए मैरिजगार्डन के संचालन का आरोप लगाते हुये प्रार्थी को सूचना पत्र जारी किया गया प्रार्थी को जो कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया उक्त सूचना पत्र नियमानुसार म0प्र0भूराजस्व संहिता मे दिये गये परिशिष्ट –1 में तामीली नियमों के अनुसार तामील नही कराया गया जबकि परिशिष्ट –1 के अनुसार कोई भी सूचना पत्र तामील कुलिदा द्धारा तामील कराई जावेगी और उस तामील पर तामील कुलिदा अपनी टीप अंकित करेगा तब वह टीप वैध मानी जावेगी कि तामील का विधिवत निर्वाह हुआ अथवा नही लेकिन उक्त प्रकरण में प्रतिप्रार्थी कमांक–2 द्धारा ग्राम पटवारी से प्रार्थी की तामील कराए जाने बावत् सूचना पत्र जारी किया गया ग्राम पटवारी मौके पर तामील कराने ही नही गया दिनांक 13.07.2016 को ग्राम पटवारी द्धारा यह टीप दी गयी है कि प्रार्थी द्धारा तामील लेने से इंकार किया गया जबकि प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति है और बीमार रहकर घर पर बना रहता है इसलिए प्रार्थी का तामील लेने से इंकार किये जाने का

Shrivastava 01/06/17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निग./ग्वा./भू.रा./2017/1540 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-6-2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–5–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बिना डायवर्सन कराये व बिना टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग की अनुमति लिये मैरिज गार्डन संचालित किये जाने के कारण रुपये 2,91,21,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है। अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थगित नहीं करने में वैधानिक कार्यवाही की गई है । यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	